संख्या- 72 /2018/48आ0/23-10-18-74(सेतु)/2015

प्रेषक,

मोहन बाबू गुप्ता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 11 अक्टूबर, 2018**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद बहराइच में बहराइच-हुजूरपुर मार्ग के रमवापुर चैराहा से टिकोरा मोड़ मार्ग के मध्य ग्रामसभा पिपरिया महिपाल सिंह के सरयू नदी बरूहा घाट पर सेतु, प पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-570/ नदी सेतु/ फैजाबाद क्षेत्र /सेतु-3/2018 दि0 07.05.2018, जिसके माध्यम से जनपद बहराइच में बहराइच-हुजूरपुर मार्ग के रमवापुर चैराहा से टिकोरा मोड़ मार्ग के मध्य ग्रामसभा पिपरिया महिपाल सिंह के सरयू नदी बरूहा घाट पर सेतु, प पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रायोजना के मूल कार्य हेतु शासनादेश सं0-20/2016/106आ0/23-10-15-74(सेतु)/ 2015, दिनांक 16.02.2016 द्वारा कुल लागत रू0 1012.50 लाख की प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रू0 200.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है । उक्त के क्रम में अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1141.87 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ इक्तालिस लाख सत्तासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन एवं निम्नांकित विवरणानुसार श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती हैः- **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्रम सं0	जनपद/कार्य का विवरण	मूल स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत /पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4
1-	जनपद बहराइच में बहराइच-हुजूरपुर मार्ग के रमवापुर चैराहा से टिकोरा मोड़ मार्ग के मध्य ग्रामसभा पिपरिया महिपाल सिंह के सरयू नदी बरूहा घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण	1012.50	1141.87

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वितीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

(6) प्रायोजना के अंतर्गत भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतएव भूमि अध्याप्ति सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत /आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग- 2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के अनुसार जो इसी शासनादेश के संलग्नक में प्रदर्शित संबंधित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में टांसफर इन्टी द्वारा केडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी । सेंटेज का भुगतान कार्यदायी संस्था को देय होगा ।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजना में जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी । तदनुसार संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को पुन: व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(11) प्रायोजना में यूटीलिटी शिफि्टंग का प्राविधान किया गया है । अत: इन कार्यमदों का संबंधित द्वारा विस्तृत आगणन गठित किया जाया। इस विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(12) प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये किया गया है, जिसमे कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे सेतु एवं पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग आदि की लम्बाई /चौडाई में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा । इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्वि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर विभागाध्यक्ष द्वारा 03 माह के अंदर समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(13) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश दिनांक 09.11.2005 एवं प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति शासनादेश दिनांक 27.04.2016 की शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चितकिया जायेगा।

(16) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(17) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-57 तथा अनुदान सं0-83 में चालू कार्यों हेतु व्यवस्थित धनराशि संगत मद में व्यवस्थित धनराशि में से वहन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-8-2820/दस-2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहन बाबू गुप्ता)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-72 /2018/48आ0(1) /23-10-18, तददिनांक।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> –

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) मण्डलायुक्त फैजाबाद /जिलाधिकारी, बहराइच ।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
(4) मुख्य अभियंता(सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियंता, फैजाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, फैजाबाद ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मोहन बाबू गुप्ता)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in